न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मृदुला शेखावत आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 58/2022
जीसीएमएस सं. – 2022/296

–:: वादीगण ::–

1. चंदादेवी पत्नि मनोज विश्नोई
2. रामेश्वरी पत्नि दिनेश कुमार विश्नोई
3. शारदा पत्नि सुरेश कुमार

सभी जातियान विश्नोई निवासीयान विष्णुनगर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. दुर्गादेवी पत्नि नेनाराम
2. महेन्द्र पुत्र नेनाराम
3. राजेन्द्र पुत्र नेनाराम
4. श्रीकिशन पुत्र शिवबक्स

सभी जातियान ब्राह्मण निवासीयान बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

5. सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री बक्तावरसिंह जाखड़, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मधुसुदन चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4

निर्णय

दिनांक : 26.05.2025

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. एक से चार की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में आई हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाता सं. नया	खसरा नम्बर	क्षैत्रफल	किस्म
566	644	1.6665 हैक्टयर	बारानी तृतीय
	647	3.2360 हैक्टयर	बारानी तृतीय
	647/1	0.1294 हैक्टयर	गै.मु.रास्ता
	648	3.3574 हैक्टयर	बारानी तृतीय
	656		बारानी तृतीय
	657		बारानी तृतीय
	659		बारानी तृतीय
	660		बारानी तृतीय
	661		बारानी तृतीय
	661/1		बारानी तृतीय
	663		बारानी तृतीय
	665		बारानी तृतीय
	666		बारानी तृतीय
	670		बारानी तृतीय
	675		बारानी तृतीय
कुल खसरा	15	कुल रकबा 24.7068 हैक्टयर	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उक्त वर्णित आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं. एक से चार की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/9 : 1/9 वां हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. एक से तीन प्रत्येक का 1/9 : 1/9 वां हिस्सा है एवं प्रतिवादी सं. चार का 1/3 वां हिस्सा हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. एक से चार माफिक हक हिस्सानुसार साहुलियत अनुसार शामलाती रूप से काश्त करते आ रहे हैं। जिसका आज दिन तक कानून अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नही हैं। पक्षकारान मौके पर शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रतिवादी सं. एक से चार को कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण टाल मटोल करते आ रहे हैं। वादीगण ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने अपने हक हिस्सा की जमीन पर सूड़ इत्यादि किया इस पर प्रतिवादी सं. एक से चार दखलन्दाजी पैदा करने लग गये तथा प्रतिवादी सं. एक से चार ने दिनांक 03.07.2022 को वादीगण को ऐलानिया रूप से कहा कि वादग्रस्त आराजी शामलाती है इसलिए वादीगण को इस वर्ष काश्त करने नही देगे इस पर वादीगण ने कहा कि वादीगण ने अपने अपने हक हिस्सा की जमीन पर ही सूड़ इत्यादि किया तथा फसल बोने हेतु हल तवियां निकाली है लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐलानिया रूप से कहा कि हम उपजाऊ शक्ति वाली जमीन पर धोरा लगायेगे वादीगण ने समझाईश की कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित है इसलिए प्रतिवादीगण को धोरा पाली कर स्थायी कब्जा करने का हक अधिकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण मान नही रहे है इसलिए वादीगण को उक्त वाद पत्र बाबत् जारी करने स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा हैं। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण सं. एक से चार की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है वादग्रस्त अविभाजित आराजी के प्रत्येक इन्च जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का समान हक व हिस्सा समान हक हिस्सा बनता है इसलिए प्रतिवादीगण को बिना बंटवाड़ा करवाये धोरा पाली देकर स्थायी कब्जा करने का अधिकार नही है जिन्हे रोका जाना आवश्यक हैं। इस्तदुआ निम्न प्रकार से है :– वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम बुचकलां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 644, 647, 647/1, 648, 656, 657, 659, 660, 661, 661/1, 663, 665, 666, 670, 675 कुल खसरा 15 कुल रकबा 24.7068 हैक्टयर का वादीगण व प्रतिवादीगण सं. एक से चार के मध्य माफिक हक हिस्सानुसार माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग अलग तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें। वादीगण के हक में एवं प्रतिवादी सं. एक से चार के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम बुचकला की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के पद सं. एक में वर्णित है के खसरा नम्बर 644, 647, 647/1, 648, 656, 657, 659, 660, 661, 661/1, 663, 665, 666, 670, 675 कुल खसरा 15 कुल रकबा 24.7068 हैक्टयर भूमि के वादीगण के बंट व हिस्सा कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे न किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष हो हित वादीगण हो वादीगण के हक में अता फरमावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बोराई शहर (जोधपुर)

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी सं. चार की ओर वकील मुधसुदन चौधरी ने वकालतनामा मय एडमिटेड जवाब

प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर समस्त पक्षकारान काबिज काश्त है अगर मौके में दर्ज हिस्से अनुसार प्राथमिक डिकी जारी की जाती है तो कोई आपति नही हैं। दोनो पक्षो की सहमति पर तनकीयात कायम नही की है और साक्ष्य नही ली गयी । मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नियम अनुसार आरएलएलआर 1957 नियम 18 से 22 की पालना के अनुसार प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु तहरीर की जाती हैं।

तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राथमिक डिकी की पालना बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर वकील वादीगण को कोई आपति नही है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीपाड़ शहर से निर्णय दिनांक 12.04.2023 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआं। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर पक्षकारो के मध्य को कोई आपति नही हैं। उक्त प्राथमिक डिकी को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता हैं। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त डिकी के भाग रहेगे। अन्तिम डिकी पृथक से जारी होकन संलग्न पत्रावली हो ।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ए इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & I)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्रीमती मृदुला शेखावत R.A.S.

चंदोदवी वगैरा बनाम दुर्गादेवी वगैरा

दावा बाबत 53,188 आर टी एक्ट राजस्व मूल वाद संख्या 58/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **बक्तावरसिंह जाखड़** मनजानिब मुदई वकील **मधुसुदन चौधरी** मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बुचकलां के खसरा नम्बर 644, 647, 647/1, 648, 656, 657, 659, 660, 661, 661/1, 663, 665, 666, 670, 675 कुल खसरा 15 कुल रकबा 24.7068 हैक्टयर में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार रहेगा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय व डिक्री के भाग रहेगे। तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में आवश्यक कार्यवाही करें। इस आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता हैं।

मीज .....शून्य .....मुवलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर एवं
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)